28.8.17

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते जवाब व वकालतनामा दि० 6.10.17 को पेश हो। अंतिम मौका दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

6.10.17

आज पत्रावली पेश हुई। वादिगण व उनके वकील को कई बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादिगण आराजी खसरा नं० 196/493, 196 व 195 में से रास्ता की घोषणा कराना चाहती है। आराजी खसरा नम्बर 196/493 की किस्म सिवायचक तथा खसरा नम्बर 195 गै० मु० आबादी है। इसलिये रास्ता की घोषणा नहीं की जा सकती। इसलिये भी वादिगण का वाद चलने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः वादिगण का वाद अग्रम हाजरी व अग्रम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, महवा